



पुलिस मॉडर्न स्कूल, रायबरेली

25वीं वाहिनी पी.ए.सी., रायबरेली, उत्तर प्रदेश

प्रवेश नियम एवं शर्तें (PRIMARY WING)

- कक्षा 1 में प्रवेश हेतु छात्र की न्यूनतम आयु 6 वर्ष (निर्धारित तिथि के अनुसार) अनिवार्य होगी।
- आयु प्रमाण हेतु नगर निगम/प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- सभी दस्तावेजों की सत्यता की पूर्ण जिम्मेदारी अभिभावक की होगी।
- किसी भी दस्तावेज में गलत या फर्जी जानकारी पाए जाने पर प्रवेश तत्काल निरस्त किया जा सकता है।
- अन्य विद्यालय से आने वाले छात्रों के लिए मूल Transfer Certificate और पिछली कक्षा की अंकतालिका अनिवार्य है।
- आधार कार्ड/पहचान प्रमाण विद्यालय रिकॉर्ड एवं शैक्षिक डेटाबेस हेतु आवश्यक होगा।
- निवास प्रमाण पत्र पड़ोस/दूरी मानदंड सत्यापन हेतु अनिवार्य होगा।
- चिकित्सा एवं टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
- RTE श्रेणी के प्रवेश राज्य सरकार की लॉटरी प्रणाली द्वारा ही होंगे, विद्यालय कोई परीक्षा/साक्षात्कार नहीं लेगा।
- RTE श्रेणी के छात्रों से ट्यूशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, अन्य सभी शुल्क नियमानुसार लागू होंगे।
- सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं वार्षिक समेकित शुल्क समय पर जमा करना अनिवार्य है।
- विलंब से शुल्क जमा करने पर विलंब शुल्क लागू होगा।
- शुल्क एक बार जमा होने के बाद वापसी योग्य नहीं होगा, सिवाय विद्यालय नियमों के अनुसार।
- Composite Annual Fee राज्य शुल्क विनियमन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार संशोधित की जाएगी।
- परिवहन, भोजन, भ्रमण आदि वैकल्पिक सुविधाएँ अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध होंगी।
- सुरक्षा निधि (Caution Money) छात्र के विद्यालय छोड़ने पर नियमानुसार वापस की जाएगी।
- प्रवेश पूर्णतः उपलब्ध सीटों पर निर्भर होगा।
- विद्यालय प्रबंधन बिना कारण बताए प्रवेश आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- प्रवेश के पश्चात छात्र को विद्यालय की सभी शैक्षणिक एवं अनुशासनात्मक नीतियों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- न्यूनतम 75% उपस्थिति अगले वर्ग में पदोन्नति हेतु आवश्यक है।
- निरंतर अनुपस्थिति या बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है।
- अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार या विद्यालय की छवि को नुकसान पहुँचाने पर निलंबन/निष्कासन किया जा सकता है।
- छात्र द्वारा हिंसा, नकल, संपत्ति क्षति या अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर प्रवेश समाप्त किया जा सकता है।
- अभिभावक का विद्यालय परिसर में अनुचित आचरण भी प्रवेश निरस्तीकरण का आधार हो सकता है।
- विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का राजनीतिक/व्यावसायिक प्रचार प्रतिबंधित है।
- छात्र की स्वास्थ्य स्थिति या विशेष आवश्यकता की जानकारी छुपाने पर विद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्रवेश के पश्चात कक्षा/सेक्शन का निर्धारण विद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- विद्यालय आवश्यकता अनुसार नियमों, शुल्क या नीतियों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी शैक्षणिक मूल्यांकन का प्रारूप Holistic Progress Card/निरंतर मूल्यांकन पद्धति के अनुसार होगा।
- छात्र के शैक्षणिक अभिलेख डिजिटल ERP प्रणाली में सुरक्षित रखे जाएंगे।
- विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य है।
- बिना पूर्व सूचना छात्र का नाम कटवाने पर एक माह का नोटिस शुल्क देय होगा।
- Transfer Certificate तभी जारी किया जाएगा जब सभी बकाया शुल्क पूर्णतः जमा हों।
- अभिभावक विद्यालय की संपत्ति की किसी भी क्षति हेतु क्षतिपूर्ति करने के उत्तरदायी होंगे।
- विद्यालय आपात स्थिति या प्रशासनिक कारणों से प्रवेश निरस्त/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- गलत जानकारी, फर्जी प्रमाणपत्र या कानूनी विवाद की स्थिति में प्रवेश स्वतः अमान्य माना जाएगा।
- छात्र की सुरक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होने पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
- विद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी, यूनिफॉर्म एवं आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा।
- विद्यालय में प्रवेश लेना इन सभी नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति में प्रवेश स्वतः अमान्य माना जाएगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद/दावा/कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार केवल रायबरेली न्यायालय होगा।

मैंने उपरोक्त सभी नियमों व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा है। मैं इनका पालन करने हेतु सहमत हूँ।

तिथि

अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर